


16.6.22

प्राणावली पेश हुई। वकील महाराज अनुपस्थित।
वादी नवादी वकील एवं प्रतिवादी दोनों प्रतिवादी वकील
को न्यायालय समक्ष तफ्तीर खाता आवाज लगे हैं।
जमीने जिनको ई उपाधी नगरी हुए। और ना ही
प्रमाण अवसर देये जाने के बाद भी प्रतिवादी
की तलबी हेतु तलवाना नोटिस पेश नहीं किया है।

अतः वादी का बाद अन्तर्गत धारा 53, 188 ग.सि.स.
प्रतिवादी को नोटेस जारी तलवाना नोटिस पेश
नहीं करने के अभाव में अन्तर्गत आदेश 09 दिनांक 05
को तहत लोरेज किया जाता है। प्राणावली के तलवाना
दोष नगरी ले नाम होना दाखिल हो। निर्णय बुद्धि
न्यायालय में सुनाया गया।


उपर्युक्त अधिकारी
साँभर लेख

